कार्यालय जनपद न्यायाधीश, महराजगंज।
(केन्द्रीय,नजारत अनुभाग)
नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2024–2025 हेतु जनपद न्यायालय, महराजगंज परिसर में स्थित वाहन स्टैण्ड, दुकान संख्या–1 (फोटोकापी/ फोटो ग्राफी) दुकान संख्या–3 (फोटोकापी/ फोटो ग्राफी) दुकान संख्या–4(चाय/नाश्ता कैण्टीन) दुकान संख्या–5 (फल, जूस, चना, सत्तू), दुकान संख्या–6 (चाय/ नास्ता कैण्टीन), दुकान संख्या–2 स्टेशनरी ,एवं 20x20 भू खण्ड, (चाय/नाश्ता कैण्टीन की दुकान) की नीलामी दिनांक–13.03.2024 को सायंकाल 4:30 बजे निर्धारित शर्तो के अनुसार अधिष्ठान के सभागार में की जायेगी। नीलामी हेतु आवेदन दिनांक 13.03.2024 को अपरान्ह 3:00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे।

नीलामी प्रक्रिया के नियम व शर्ते माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाइट **www.allahabadhighcourt.in** एवं जनपद न्यायालय महराजगंज की आधिकारिक वेबसाइट **https://districts.ecourts.gov.in/maharajganj** पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त नीलामी से सम्बन्धित अन्य विवरण न्यायालय के सूचना पट्ट अथवा केन्द्रीय नजारत अनुभाग से किसी भी कार्य दिवस को प्राप्त की जा सकती है। दिनांक 13.03.2024 को होने वाले नीलामी में अधिक से अधिक बोलीदाताओं की उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु नीलामी सूचना को जनपद मुख्यालय के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों, कार्यालयों एवं प्रमुख समाचार–पत्रों में प्रकाशित किया जाये।

1. पहचान पत्र, **2**. पैन कार्ड, **3**. हैसियत प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

नोटः– मु0–50000=00 से कम बोली वाली दुकानों हेतु हैसियत प्रमाण पत्र की आवश्यकता नही है।

दिनांक–02.03.2024

(विनय कुमार सिंह।।),
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
विशेष न्यायाधीश अनन्य,
न्यायालय,(पोक्सो अधिनियम),
महराजगंज,।

प्रतिलिपिः सूचनार्थ प्रेषितः–

1. जिला सूचनाधिकारी, महराजगंज को समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
2. एन0आई0सी0, महराजगंज।
3. नगर पालिका महराजगंज के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
4. नाजिर तहसील सदर महराजगंज।
5. मुख्य विकास अधिकारी विकास भवन महराजगंज।
6. बस स्टेशन, महराजगंज के नोटिस वोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
7. कलक्ट्रेट नजारत महराजगंज के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
8. जिला न्यायालय महराजगंज के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
9. सिस्टम अधिकारी/आई0सी0टी0 स्टाप जिला न्यायालय महराजगंज।

2/3/2024

(विनय कुमार सिंह ।।),
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
विशेष न्यायाधीश अनन्य,
न्यायालय,(पोक्सो अधिनियम),
महराजगंज,।

कार्यालय नजारत अनुभाग जिला न्यायालय महराजगंज

दिनांक 02. मार्च 2024

नीलामी सूचना/शर्तें

वित्तीय वर्ष 2024–2025 हेतु दुकानो के आवंटन की शर्तें:–

1. यह नीलामी दिनांक–01.04.24 से 31.03.2025 तक के लिये प्रभावी होगी।
2. **नीलामी में भाग लेने हतु आधार कार्ड, पैन कार्ड, हैसियत प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा एक हैसियत प्रमाण पत्र पर किसी एक ही दुकान की नीलामी में भाग लेने का अधिकार होगा हैसियत प्रमाण पत्र की सीमा सरकारी बोली से कम नही होना चाहिए,यदि किसी को पूर्व में वसूली हेतु वसूली पत्र (RC) जारी हुआ है तो वह नीलामी प्रक्रिया में भाग नही ले सकता।**
3. प्रत्येक दुकान जिसकी सरकारी बोली **100,000=00** से उपर हो की जमानत धनराशि **100,000/–** रूपये जिस दुकान की सरकारी बोली 100,000=00 से कम हो की जमानत धनराशि **10,000/–** रूपये निर्धारित की गयी है जो बोली बोलने से पहले नजारत में जमा करना होगा। नीलामी की अन्तिम बोली बोलने वाले के अलावा शेष बोली दाता की जमानत धनराशि उन्हे वापस कर दी जायेगी।
4. नीलामी की अन्तिम बोली बोलने वालें को कुल धनराशि की **आधी धनराशि दिनांक 01.04.2024 को ही जमा करना होगा** तथा जमानत राशि को अन्तिम किस्त में जोड़ा जायेगा, तथा शेष धनराशि दो किस्तों में क्रमशः पहली किस्त 15 जुलाई तक तथा द्वितीय किस्त 15 अक्टूबर तक हर हाल में जमा करना होगा अन्यथा धनराशि जमा न होने की दशा में आवंटन निरस्त कर वसूली की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
5. दुकानों के अगल–बगल के साफ–सफाई की व्यवस्था ठेकेदार की होगी।
6. दुकानों के आवंटन एंव भुगतान सम्बन्धी विवाद के सम्बन्ध में जनपद न्यायाधीश, महराजगंज का निर्णय अन्तिम होगा।
7. ठेके की अवधि अर्थात 31.03.2025 को समाप्त होते ही 05.00 सायंकाल ठेकेदार को स्थान खाली करना होगा।
8. यह नीलामी जनपद न्यायाधीश, महराजगंज के अनुमोदनाधीन मान्य होगी।
9. आवंटित दुकानों में वही व्यवसाय किया जायेगा जिसके लिए वह आवंटित है तथा प्रतिबन्धित या अवैध गतिविधिया नही की जायेगी।
10. जनपद न्यायाधीश, महराजगंज को अधिकार होगा कि कोई अनियमितता पाये जाने पर किसी भी समय वह ठेका निरस्त कर स्थान खाली करा सकते है व जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
11. प्रत्येक दुकान हेतु विद्युत व्यय (एक बल्ब एक पंखा) नियमानुसार धनराशि/ नियमानुसार–प्रतिमाह की दर से ठेकेदार द्वारा देय होगा तथा निर्धारित कर (यदि कोई होगा) को ठेकेदार को अलग से देना होगा।
12. दुकानें केवल न्यायालय कार्य दिवस में ही खुलेंगी।
13. वाहन/साईकिल स्टैण्ड हेतु क्रमानुसार दर नियत किया जाता है जो किसी भी दशा में अपरिवर्तनीय होगा:–

क्रमांक	वाहन का प्रकार	नियत दर	अवधि
1	साइकिल	रू0–5/प्रति साइकिल	कार्यालय अवधि तक
2	मोटर साइकिल	रू0–10/प्रति मोटर साइकिल	
3	चार पहिया वाहन व अन्य भारी वाहन	रू0–30/प्रति वाहन	

14. कार्यालय कर्मचारियों एवं बार एशोसिएसन के अधिवक्ताओं से कोई वाहन शुल्क नही लिया जायेगा।

Vinay 02/3/2024

(विनय कुमार सिंह),
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
विशेष न्यायाधीश अनन्य,
न्यायालय.(पोक्सो अधिनियम).